भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 532

उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

जनजातीय भूमि का अधिग्रहण

532 श्री तनुज पुनिया :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन, औद्योगिकीकरण और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) : क्या सरकार ने जनजातीय समुदायों पर ऐसे अधिग्रहण के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औद्योगिकीकरण तथा अन्य विकास परियोजनाओं के लिए जनजातीय भूमि के अंधाधुंध अधिग्रहण/विपथन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) केंद्र में नोडल मंत्रालय है जो भूमि सुधारों के क्षेत्र में निगरानी की भूमिका निभाता है। हालाँकि, भूमि और उसका प्रबंधन राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जैसा कि भारत के संविधान (सातवीं अनुसूची- सूची II (राज्य सूची)- प्रविष्टि संख्या (18) के तहत प्रदान किया गया है। इसलिए, खनन, औद्योगिकीकरण और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अधिग्रहीत जनजातीय भूमि का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा भूमि अधिग्रहण एवं जनजातियों के विस्थापन के मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं:-

(1) **अनुसूची-V के तहत संवैधानिक प्रावधानों** में भी भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के विरूद्ध सुरक्षा उपायों का प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकने या प्रतिबंधित करने और ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आवंटित भूमि को विनियमित करने का अधिकार है। संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5.2 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में अचल संपत्ति को जनजातीय लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।

(2) **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (संक्षेप में पेसा)** में यह भी प्रावधान है कि 'विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों मे भूमि अधिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी

परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन या उनके पुनर्वासन के पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श किया जाएगा;''

(3) **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम" (संक्षेप में, एफआरए) 2006** में अधिनियमित किया गया, जो धारा 4(5) के तहत बेदखली के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, जो इस प्रकार है "अन्यथा प्रावधान के सिवाय, वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासी के किसी भी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से तब तक बेदखल या हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती"।

(4) **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करने या किसी भूमि या परिसर या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उनके अधिकारों के उपयोग में हस्तक्षेप करने या फसलों को नष्ट करने या वहां से उपज ले जाने के लिए दंड का प्रावधान है, जो अत्याचार का अपराध माना जाएगा और उक्त अधिनियम के तहत दंड के अधीन होगा।

(5) **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिन्हें धारा 41 और 42 के तहत स्पष्ट किया गया है।

(i) **आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की पहली अनुसूची** में भूमि मालिकों के लिए मुआवजे का प्रावधान है। आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 की धारा 3(द)(ii) के अनुसार, 'भूमि मालिक' में वह व्यक्ति शामिल है जिसे एफआरए, 2006 (2007 का 2) या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार दिए गए हैं।

(ii) **आरएफसीटीएलएआरआर की दूसरी अनुसूची** में सभी प्रभावित परिवारों (भूमि मालिकों और ऐसे परिवारों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अर्जित भूमि पर निर्भर है) के लिए पहली अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान किया गया है, जो पहली अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त है।

(iii) **आरएफसीटीएलएआरआर की तीसरी अनुसूची पुनर्वास क्षेत्र** में उचित रूप से रहने योग्य और नियोजित निपटान के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करती है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया [धारा 3 की उपधारा (ग)], मुआवजे की राशि का निर्धारण और गणना (धारा 26 से 29), साथ ही पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए तंत्र (अध्याय V और VI) को स्पष्ट करता है।

(6) **कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015** में एलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कोयला खनन के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है, जिसका तात्पर्य यह है कि कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय एलएआरआर अधिनियम, 2013 में अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।

(7) **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015** में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला खनिज फाउंडेशन के लिए नियम बनाते समय राज्य सरकारें संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ अनुच्छेद 244, पेसा अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखेंगी।

*****